

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

सं०सं०-०४/लो०-०४/२०१७/...../७०६

राँची, दिनांक २१-०३-२०२३

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, राहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध शिक्षकों को गलत प्रोन्नति देने, जांच कार्य में सहयोग नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं फेक एजेंसी से सामग्री क्रय करने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- ६७० दिनांक- २७.०२.२०१९ के द्वारा झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, २०१६ के नियम-१७ एवं १४ के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रक्रियाधीन रहते हुए श्री सुरेन्द्र पाण्डेय के वार्डक्य सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली, २००० के नियम-४३ के अधीन परिवर्तित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अक्षय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

राँची, दिनांक २१-०३-२०२३

ज्ञापांक-.....७०६

प्रतिलिपि:- विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-०१/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई० पोर्टल एवं श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक राहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके स्थायी पता- Mohalla/Village-